खण्ड–24, अंक–06
शनिवार, 29 अग्रहायण, शक संवत्, 1930
(20 दिसम्बर, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(तृतीय सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 24 में 06 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2010

मूल्य–

विषय–सूची

विषय				पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	...	...	...	''क''
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	...	...	...	1
उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन	...	...	...	1–14
जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...	...	15–20
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	...	20
राष्ट्रगान	...	...	...	20–21

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अनिल नौटियाल
3–श्री ओम गोपाल
4–श्री खजान दास
5–श्री खड़क सिंह बोहरा
6–श्री गगन सिंह
7–श्री गोविन्द लाल
8–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
9–श्री चन्दन राम दास
10–श्री जोगा राम टम्टा
11–श्री दिवाकर भट्ट
12–श्री दिवान सिंह
13–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
14–श्री प्रकाश पन्त
15–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
16–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
17–श्री बिशन सिंह चुफाल
18–श्री बंशीधर भगत
19–श्री बृज मोहन कोटवाल
20–मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
21–श्री मदन कौशिक
22–श्री मातबर सिंह कण्डारी
23–श्री मुन्ना सिंह चौहान
24–श्री यशपाल बेनाम
25–डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
26–श्री राजकुमार
27–श्रीमती विजय बड़थ्वाल (दिनांक 20 दिसम्बर, 08 को उपाध्यक्ष निर्वाचित)
28–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
29–श्रीमती वीना महराना
30–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
31–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
32–श्री सुरेश चन्द जैन
33–श्री हरभजन सिंह चीमा
34–श्री हरिदास
35–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शनिवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 की बैठक में दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

शनिवार, 20 दिसम्बर,

1. उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा का निर्वाचन।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन

श्री अध्यक्ष–

उपाध्यक्ष पद के लिए आठ नॉमिनेशन कल तक प्राप्त हुए थे, जो इस प्रकार हैंः–

क्र0 सं0	नाम–निर्देशित अभ्यर्थी का नाम	प्रस्तावक सदस्य का नाम	समर्थक सदस्य का नाम
1.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	श्री अनिल नौटियाल	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
2.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	श्रीमती आशा नौटियाल	श्री गणेश जोशी
3.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	श्री गोविन्द सिंह बिष्ट	श्री दिवान सिंह
4.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	श्री प्रकाश पन्त	श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
5.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	श्री मुन्ना सिंह चौहान	श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी
6.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	श्री राजकुमार	श्री गोपाल सिंह रावत
7.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)	श्री बृजमोहन कोटवाल
8.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	श्री हरभजन सिंह चीमा	श्री खड़क सिंह बोहरा

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं कि उपाध्यक्ष पद के लिए एक ही नाम के 8 प्रस्ताव आये हैं और कोई दूसरा नामांकन नहीं हुआ है, अतः मैं सर्वसम्मति से उनके नाम की घोषणा करता हूँ, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद के लिए चुनी गईं। (मेजों की थपथपाहट) मैं माननीय नेता सदन एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूँ कि निर्वाचित उपाध्यक्ष श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को उनका आसन ग्रहण करवायें।

(माननीय श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी ने माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को उपाध्यक्ष पद पर आसीन कराया।)

(विपक्ष के कोई भी मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

यह हमारे लिए, इस सदन के लिए और प्रदेश की पूरी जनता के लिए एक शुभ दिन है, एक भाग्यशाली दिन है कि जो कुर्सी राज्य बनने के पश्चात् से अब तक खाली पड़ी थी, आज इस सदन ने सर्वसम्मति से श्रीमती विजय बड़थ्वाल को उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करने के पश्चात्, उन्हें उस कुर्सी पर आसीन कराया। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि श्रीमती विजय बड़थ्वाल ने गत कई वर्षों से इस सदन की सदस्य रहते हुए, अपने विचारों से, अपनी कार्यप्रणाली से, इस सदन का मान–सम्मान बढ़ाया है। यदि हम उनके जीवन की ओर देखें, उनके पिता स्वर्गीय श्री दौलतराम नैथानी थे। श्रीमती विजय बड़थ्वाल का जन्म 16 मई, 1952 को हुआ। आपका जन्म स्थान ग्राम बिलखेत, पौड़ी गढ़वाल है। आपने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की और व्यवसाय से आपने अध्यापन का कार्य किया। आपके पति श्री चन्द्रमोहन बड़थ्वाल के साथ आपका विवाह 28 फरवरी, 1975 को हुआ और श्रीमती विजय बड़थ्वाल वर्ष 2002 के आम चुनाव में प्रथम बार उत्तराखण्ड विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं तथा वर्ष 2007 के आम चुनाव में पुनः उत्तराखण्ड विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं। आप उत्तराखण्ड विधान सभा की नियम तथा सरकारी आश्वासन समिति की सदस्य वर्ष 2003–2004 में रही तथा प्राक्कलन समिति की सदस्य वर्ष 2004–2007 में रहीं। सम्प्रति सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति वर्ष 2007–2008 की सदस्य हैं।

आपने धाद महिला मंच के महासचिव, जिला पंचायत, पौड़ी के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दिया। आपको पुस्तकें पढ़ने में विशेष रूचि है। वर्तमान में व्योमप्रस्थ कॉलोनी, जनरल महादेव सिंह रोड पर आपका निवास है। आज मात्र आपके विधान सभा क्षेत्र के निवासी ही नहीं, वहाँ के मतदाता ही नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की समस्त जनता आपको इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन देखते हुए प्रसन्न हो रही होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपके महत्वपूर्ण योगदान से निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा बढ़ेगी, इस सदन का महत्व बढ़ेगा। आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

*मुख्यमंत्री (मे0ज0 अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0–

धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी, सदन की तरफ से और मैं अपनी तरफ से श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को बहुत–बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इस महत्वपूर्ण गरिमामयी पद पर जिनको आज सदन ने चुना है, मुझे पूरा विश्वास है, उनकी जिस प्रकार की पृष्ठभूमि है और जिस प्रकार उन्होंने राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया है, वह बहुत योग्यता से और प्रभावशाली ढंग से इस पद के दायित्व का निर्वहन करेंगी। मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने पद पर पूर्ण रूप से सफल रहें।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी का परिचय दिया है, उसमें मुझे और कुछ ज्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं यह अवश्य इस सदन के ध्यान में लाना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड की देवभूमि में जहाँ हम महिलाओं का विशेष स्थान रखते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद ही नहीं, उसके पहले भी महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान हमारे समाज और हमारे भविष्य की पीढ़ियों को बनाने में रहा है। इसलिए मैं हमेशा यह कहता रहा हूँ कि उत्तराखण्ड के अन्दर हम महिलाओं का जितना सम्मान कर सकें, जितनी राजनैतिक क्षेत्र और प्रशासन में उनकी भागीदारी हो सके, वह अच्छा है। इसलिए सरकार ने महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है, जिसके नतीजे अभी हमको मिले हैं और आज हमारे लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इस सदन में विजय जी पहली उपाध्यक्ष हैं, ये एक महिला हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमारे पूरे देश में कितनी महिलाओं ने इस पद को सुशोभित किया होगा। मुझे बताया गया कि दिल्ली में और असम में शायद महिला इस पद पर पहले रही हैं। हो सकता है और भी जगह हों लेकिन फिर भी हमारे सदन के लिए और इस प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है और गौरव की बात भी है कि आज एक महिला इस पद पर सुशोभित है। विजय जी की जो पृष्ठभूमि है, शैक्षिक योग्यता, राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र के अन्दर उनको बहुत अनुभव है। पौड़ी जैसे बड़े जिले की वे जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और सदन के अन्दर भी जैसा आपने बताया अनेकों महत्वपूर्ण कमेटियों की वे सदस्य रह चुकी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस सदन को भी अपने पद द्वारा गौरवान्वित करेंगी और इस गरिमामय पद पर पूर्ण रूप से सफल रहेंगी, यह मेरी आशा और प्रार्थना है, उनको पुनः हार्दिक बधाई। धन्यवाद।

खाद्य मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद काफी लम्बे समय से एक बहुत बड़ी कमी इस राज्य के अन्दर महसूस की जा रही थी, खासकर मैं यह कहूँगा कि इस राज्य को बनाने में सबसे बड़ी पीड़ा जो थी, जिसको लेकर इस राज्य का आन्दोलन हुआ और यह महसूस किया जा रहा था कि इस राज्य के अन्दर यहाँ की महिलाओं की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो दिक्कतें हैं, जो कठिनाईयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वे कैसे हल हों और इसी पीड़ा को लेकर राज्य आन्दोलनकारियों की जो अवधारणा थी, उसमें यदि कोई बहुत बड़ा कारण था, तो यह महिलाओं की पीड़ा थी और इस पीड़ा को देखते हुए इतना बड़ा आन्दोलन हुआ। हमारी महिलाएं सड़कों पर उतरीं। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि इस राज्य के आन्दोलन में यदि महिलाएं सड़कों पर न आतीं, इस राज्य के आन्दोलन में यदि महिलाओं का योगदान न होता, तो शायद आज यह राज्य न बना होता। आज इस राज्य के गठन के 9वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। सम्मानित विजय बड़थ्वाल जी के परिवार से मेरे बहुत नजदीकी सम्बन्ध रहे हैं। मैं यह कहूँगा कि उनके पतिदेव श्री चन्द्र मोहन बड़थ्वाल जी भी हमारे साथ रहे, बहुत लम्बे समय तक हम साथ रहे, वे भी एक क्रान्तिकारी व्यक्ति हैं। छात्र आन्दोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा।

उन तमाम बातों को देखते हुए और जिस तरह से माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तमाम बातें कहीं कि किन–किन समितियों में उन्होंने किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन किया। तमाम उनकी क्षमतायें जिस तरह से प्रदर्शित हुईं, मैं समझता हूँ कि उसी को ध्यान में रखते हुए और इस राज्य की महिलाओं की पीड़ा में कुछ कमी आये, उसको सम्मिलित करते हुए माननीय विजय बड़थ्वाल जी को जो यह दायित्व आज सदन ने सौंपा है, आने वाले समय में उस कमी को दूर करेंगी। महिलाओं का विशेषकर, इस राज्य के अन्दर जो अभी तक स्थान है, उसको उच्च स्थान पर लाने का प्रयास करेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें और हैं, लेकिन मुझे तो खुशी इतनी ज्यादा है कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा में सर्वसम्मति से जिस प्रकार से एक महिला को इस स्थान पर बैठाया है, वह निश्चित रूप से इस राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण है और यह उदाहरण आने वाले समय में इस राज्य की महिलाओं की पीड़ा को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और पूरे सदन की ओर से उन्हें बहुत–बहुत बधाईयां देना चाहता हूँ।

(मेजों की थपथपाहट)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'')–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से विजय बड़थ्वाल जी को बहुत सारी बधाईयां देना चाहता हूँ और जिस प्रकार से आपने, माननीय नेता सदन ने और माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता हूँ। श्रीमन्, इस राज्य के गठन के इतने वर्षों बाद इस गरिमामयी पद पर पहली बार, आज जो यह निर्णय हुआ है, वह निश्चित रूप से इस राज्य की गौरवशाली इतिहास की परम्परा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। श्रीमन्, विजय जी शैक्षणिक क्षेत्र

से जुड़ी रही हैं, जहाँ रचना और निर्माण का उनका मन लगातार पहले से ही रहा है। एक शिक्षिका के रूप में इस प्रदेश को, देश को अच्छे छात्र तैयार कर देने का कार्य उन्होंने लम्बे समय से किया है। राजनैतिक क्षेत्र में आने के बाद मैं तब से माननीय विजय जी को जानता हूँ कि जब वे पौड़ी गढ़वाल जैसे, जो उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा जनपद है, जिसमें 15 विकास खण्ड हैं, जिसके जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया था, तभी से हमको लगता था कि माननीय विजय बड़थ्वाल जी के मन के अन्दर जो छटपटाहट है, जो राजनैतिक दिशा देने का बोध है, जो समाज के विकास के प्रति उत्कट छटपटाहट है, यह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और इस राज्य को एक दिशा देगी।

श्रीमन्, जैसे कि आप विदित ही हैं कि उत्तराखण्ड देश का ऐसा क्षेत्र है, जो दोहरी पंक्ति में राष्ट्र की सेवा करता है। जहाँ औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर अपने प्राणों को हथेली पर रखकर, भारत मां की सीमाओं पर अपने प्राणों को न्यौछावर तक कर देता है। वहीं दूसरी पंक्ति में, शायद पूरे देश में यही एक ऐसा क्षेत्र है, जो दूसरी पंक्ति में, दो–दो विदेशी सीमाओं में, वह सेनानी जो लगातार राष्ट्र की सीमाओं की अपने प्राणों की हथेली पर रखकर रक्षा करता है, अपनी प्राणाहुति देता है, उसकी मां और बहनें दूसरी पंक्ति में खड़ी होकर राष्ट्र की सीमा में सेनानी की तरह अपना योगदान देती हैं, अपनी भूमिका निभाती हैं। श्रीमन्, हम गौरवशाली हैं, हम सौभाग्यशाली है कि हमारा राज्य भारत का भाल है, माथा है और भारत का भाल कहे जाने वाले उत्तराखण्ड की धरती पर देश की सेवा में दोहरी पंक्ति की सेवा करने की प्रबल, उत्कट जिज्ञासा उत्तराखण्ड की धरती में है और उसमें भी वो मां जो अपने उस सपूत को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करती है, वो स्वयं भी सेनानी बन करके श्रीमन्, खड़ी है।

मैं बधाई देना चाहता हूँ नेता सदन को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में उस मातृशक्ति को इस राज्य के अन्दर 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायतों में दे करके उस मातृशक्ति का गौरव बढ़ाया है, जिसने इस राज्य के निर्माण में सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है श्रीमन्, और आज उसी परम्परा में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, जिसमें इस माननीय सदन में जो उत्तराखण्ड के सबसे बड़े न्याय का मंदिर है, यह विधान सभा, उस गौरवमयी विधान सभा की उपाध्यक्ष के रूप में आज उस मातृशक्ति का एक बार फिर सम्मान हुआ है। मैं एक बार पुनः श्रीमन्, अपनी ओर से श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी, माननीय उपाध्यक्ष को जो इस गौरवशाली, गौरवमयी पद पर पदासीन हुई हैं, मेरा पूरा भरोसा है, मैं बधाई देता हूँ और मैं आशा भी व्यक्त करता हूँ कि आपके सानिध्य में और विजय बड़थ्वाल जी के सानिध्य में यह सदन गरिमामयी इतिहास को बनायेगा। मैं एक बार पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद (मेजों की थपथपाहट)

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब के लिए यह बहुत प्रसन्नता का गौरवशाली क्षण है कि हमारे बीच में एक ऐसी महिला विधान सभा सदस्य, जिनकी सक्रियता किसी से छुपी नहीं थी और जो सदन में प्रत्येक क्षण जनता से जुड़े हुए मुद्दो और जनता के हितों की पैरवी के लिए प्रत्येक क्षण सक्रिय रहती थीं। श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी आज इस सदन के गौरवमयी आसन, उपाध्यक्ष के आसन पर विराजमान हैं। मैं श्रीमन्, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, मैं श्रीमन्, इसलिए आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूँ। श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी के साथ जहाँ विधान सभा के सदस्य के रूप में प्रथम बार ही सदन में बैठने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, वहीं श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी के परिवार से मुझे लम्बे समय तक परिचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैंने अपने स्वयं के राजनैतिक सफर की शुरूआत पंचायतों से की। जब मैं ब्लाक प्रमुख था, उस दौरान जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर के जो पंचायत इंस्टीट्यूशन्स थे, उस समय काम करते हुए पंचायत व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम सारे अधिकारियों से भी रोज सम्पर्क होता था, उनके पास आना–जाना रहता था। श्रीमती बड़थ्वाल जी के पति जो पंचायत विभाग के एक अधिकारी हैं, उस नाते उनसे भी घनिष्ठता थी और बड़थ्वाल जी के परिवार में, घर पर भी आना–जाना था।

मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूँ कि श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी का जीवन अपने आप में एक संघर्ष का पर्याय है। एक स्कूल टीचर के रूप में और उससे पहले अपने विद्यार्थी जीवन में, उन्होंने जीवन में तमाम सारी कठिनाईयों का सामना किया। उसका विस्तृत उल्लेख करने का श्रीमन्, यह अवसर नहीं है। इस बीच में मुझे आपके परिवार के बहुत मेधावी आपका जो बेटा है, आपकी बेटी है, उन सब से भी मिलने का, मेलजोल करने का अवसर मिला। जो अति प्रतिभावान युवक हैं। यहाँ पर सदन में आने के बाद इस सदन की जो सरकारी आश्वासन समिति है, उसमें भी मुझे श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी के साथ सदस्य के रूप में काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से जैसा अभी माननीय निशंक जी ने कहा इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पंचायत की व्यवस्था में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण का जो नारा पूरे देश में दिया जाता है, उस दिशा में अग्रणी राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करने का काम सरकार ने किया, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीमती विजय बड़थ्वाल महिला सशक्तिकरण की आज उत्तराखण्ड में पर्याय बन गई हैं। इस रूप में निश्चित रूप से हमें लगता है कि श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी के इस आसन पर विराजमान होने के बाद महिला सशक्तिकरण का जो अभियान इस प्रदेश के अन्दर चला है, निश्चित रूप से वह अभियान अपने मुकाम तक पहुँचेगा और पूरे देश के अन्दर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाला उत्तराखण्ड राज्य सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च गौरव हासिल करेगा, ऐसा हम सब का सोचना है। श्रीमन्, आपके मार्गनिर्देशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में हम किसी न किसी प्रकार से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर यहाँ पर अपने–अपने तरीके से उसमें योगदान करते हैं। इसी प्रकार से आज आपके सहयोगी के रूप में श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को पा करके भी हम निश्चित रूप से आश्वस्त हैं। इस सदन की कुछ मर्यादायें और जो पार्लियामेन्ट्री कन्वेंशन्स हैं, उसको स्थापित करने में और मदद मिलेगी और निश्चित रूप से हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होंगे।

जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कहा करते थे, चन्द घटनाओं को हम यदि नजरअंदाज कर दें तो हम पूरे गर्व के साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी कहा करते थे कि यह गौरवशाली सदन है, जहाँ की परम्पराओं, जहाँ की कार्यपद्धति, जहाँ का गौरव और जहाँ के नियमों का संदर्भ भारत की संसद में भी दिया जाता है। हम यह कल्पना करते हैं कि निश्चित रूप से उत्तराखण्ड विधान सभा में भी हम उच्च आदर्श स्थापित करेंगे और उच्च परम्पराओं का निर्माण करेंगे, जिसका संदर्भ देश की संसद और दुनिया के दूसरे पार्लियामेन्ट्री इन्स्टीट्यूशन के अन्दर लोग दे सकें, ऐसी अभिलाषा, आकांक्षा हम लोग रखते हैं। एक बार पुनः श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को हार्दिक शुभकामना और बधाई। (मेजों की थपथपाहट)

*श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को आज उत्तराखण्ड विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के लिए बहुत–बहुत बधाई देती हूँ। माननीय नेता सदन और माननीय अध्यक्ष जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस राज्य में, जैसे कि मेरे पूर्व अग्रज सम्मानित सदस्यों ने, माननीय मंत्रीगणों ने, माननीय नेता सदन ने यहाँ पर कहा, मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करते हुए आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और उत्तराखण्ड की तमाम उन बहनों को गौरवान्वित महसूस करते हुए देख रही हूँ, जिन्होंने इस राज्य की कल्पना में, जिन्होंने इस राज्य को पाने में अपना बहुत कुछ न्यौछावर किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ इस सदन के समस्त सम्मानित सदस्यों की, जिन्होंने एक महिला पर, इस उत्तराखण्ड की बेटी पर, उत्तराखण्ड की बहनों पर इस तरह से विश्वास करके और इस सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष जी के सहयोगी के रूप में उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपकर, हम समस्त उत्तराखण्डवासी महिलाओं का गौरव बढ़ाया है और मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 2002 का जब चुनाव हुआ तो एक सदस्य के रूप में मैं भी इस सदन में निर्वाचित होकर आई और माननीय बहन विजय बड़थ्वाल जी भी इस सदन की सदस्य बनकर निर्वाचित होकर आईं। तब से लेकर आज तक हम दोनों ने हर पल, हर क्षण एक साथ बिताकर, चाहे वह कोई मीटिंग हो, चाहे वह पार्टी की मीटिंग रही हो, चाहे सरकारी कहीं पर मीटिंग रही हो, हम दोनों ने हमेशा हर पल साथ गुजारे हैं। हर मीटिंग में जैसा कि आम तौर पर राजनैतिक दृष्टिकोण से हमने सम्भव होते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं देखा, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि अगर हम एक पल भी कहीं एक दूसरे से अलग किसी मीटिंग में उपस्थित रहते तो पता नहीं कितनी कमी हमको महसूस होती थी।

मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा गौरव हो रहा है कि हमारे कभी–कभी विपक्ष के बन्धु भी कहा करते थे कि इस सरकार ने पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर जो सम्मान यहाँ की महिलाओं को दिया। लेकिन, उनका यह भी कहना होता है कि सदन के अन्दर 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है और मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि हमारे विपक्ष के साथी, मैं उन विपक्ष के साथियों की आज कमी भी महसूस कर रही हूँ जिनकी यह चाह थी, जिनकी यह इच्छा थी, यदि वे आज सदन में उपस्थित होते तो वास्तव में उनको भी खुशी होती कि इस उत्तराखण्ड की एक बहन को आज इस प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी पर, महत्वपूर्ण दायित्व पर विराजमान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को बहुत–बहुत बधाई देती हूँ और जिस तरह से इस सदन के संचालन में उनका सहयोग हमेशा रहा और उन उत्तराखण्ड की महिलाओं की आवाज बनकर हमने यहाँ पर उनकी समस्याओं को उठाने का प्रयास किया और उत्तराखण्ड के उन तमाम दूरस्थ क्षेत्रों, जहाँ के लोग देहरादून तक नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ के लोग अपनी बात उचित जगह पर नहीं रख पाते हैं, आप उनके साथ हमेशा उनकी आवाज बनकर खड़ी रहीं और इस सदन में उनकी समस्याओं को उठाकर वहाँ की समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा संघर्षरत् रहीं। मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय अध्यक्ष जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि हमारी उपाध्यक्ष जी और माननीय अध्यक्ष जी, दोनों इस सदन के संचालन में एक सहयोगी के रूप में इस सदन का संचालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बहुत–बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद।

श्री बृजमोहन कोटवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी तरफ से और सारे सदन की तरफ से श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारी सरकार ने महिलाओं को, हमारी मातृ शक्ति को बहुत महत्व दिया है और देती आयी है। श्रीमन्, माननीय श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी आज राज्य के उपाध्यक्ष पद पर विराजमान हुई हैं। आठ साल तक यह पद रिक्त था और हमारी सरकार ने इस पद पर एक महिला को सम्मान दिया है। मान्यवर, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी जिला पंचायत में वर्ष 1996 में मेरे साथ उपाध्यक्ष के पद पर रही हैं और मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य के इस उच्च सदन में मैं अपनी बहन को उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित देख रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी और प्रसन्नता हो रही है। मैं श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी से यही प्रार्थना करूँगा कि जो पद उन्हें प्राप्त हुआ है, उसको अच्छे एवं सुशोभित ढंग से चलायें और इन्हीं शब्दों से मैं पुनः बधाई देता हूँ।

*श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, यह समुचित विधान सभा और पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य बनने के आठ साल के बाद, पहली बार और पहली महिला उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी इस सदन को गौरवान्वित कर रही हैं। मैं पूरे सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक अनुभव और उनका कुशल व्यवहार इस सदन के जरिए इस उत्तराखण्ड की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। पुनः मेरी उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी प्रिय मित्र श्रीमती आशा नौटियाल जी ने बिछुड़ने का जो दुख जाहिर किया, मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि उन्हें दर्शन देती रहेंगी वरना माननीय आशा नौटियाल जी ये गुन–गुनाती रहेंगी कि–

तेरी तस्वीर से तो सिर्फ तेरी याद आती है,
रौनक तो विजय, तेरी याद आने के बाद आती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है। आज उत्तराखण्ड विधान सभा में उपाध्यक्ष के रूप में, उसमें भी विशेष रूप से महिला को इस विधान सभा में दायित्व सौंपने का श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी के रूप में अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय नेता सदन को, जिन्होंने पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया और इस प्रकार का प्राविधान किया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे स्मरण आता है कि पिछले वर्ष एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि महिलाओं को देश के अन्दर और उच्च सदनों में 33 प्रतिशत का आरक्षण मिलना चाहिए। यह बड़ा खेद का विषय है कि लोक सभा के अन्दर वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लेकिन खुशी का मौका है कि हमारे उत्तराखण्ड में उन्हीं महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायत और नगर पालिकाओं में हुआ और आज ठीक उसी का अनुसरण करते हुए मैं यह समझता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय नेता सदन का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने इस दायित्व के लिए विजय बड़थ्वाल जी को चयनित किया। यूँ तो अभी आशा नौटियाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं निश्चित रूप से तमाम पूर्व वक्ताओं से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही सीट पर यहाँ बैठते थे। विजय बड़थ्वाल जी के साथ और मुझे तो एक और सौभाग्य प्राप्त है कि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र ऋषिकेश से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा और नजदीकी

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिश्ता विजय बड़थ्वाल जी के साथ है और वह रिश्ता बना भी रहेगा मैं यह भी कहना चाहता हूँ। यह जो दूरी बढ़ी है तो मैं समझता हूँ कि उनका आशीर्वाद उपाध्यक्ष के रूप में मिलेगा।

आप वास्तव में बहुत ही संघर्षशील महिला हैं, मैं जानता हूँ। जब से आपने जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपना राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया, उसके बाद जिस प्रकार से पहली बार वर्ष 2002 में महिला सदस्य के रूप में यमकेश्वर सीट से आपने इस सदन में प्रवेश किया। दूसरी बार आप फिर निर्वाचित होकर सदन में आयीं। आपका ये सौम्य व्यवहार, आपका यह जनता के प्रति लगाव और निश्चित रूप से सदन में आप जिस प्रकार से अपनी बात को, अपने क्षेत्र के विषय को सदन में उठाती थीं, आज उसी का परिणाम है कि यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई दूँगा और पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हुए आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरह हम सबका मार्गदर्शन करती रहें, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको बधाई। धन्यवाद।

*श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन का और भारतीय जनता पार्टी संगठन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने हमारे ही बीच से ऐसी संघर्षशील विधायक बहन विजय बड़थ्वाल जी को आज उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस राज्य को आपके उपाध्यक्ष बनने से एक नई दिशा और दशा मिलेगी। आप जिस तरह से पिछले पाँच–सात सालों से एक विधायक के नाते मिलजुलकर क्षेत्रों की समस्याओं को उठाती रही हैं और इन्हीं सब आपके नेतृत्व को देखते हुए सरकार ने, सदन ने, सभी सम्मानित विधायकों ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है। आप इस सदन को, इस राज्य को, इस महिला सशक्तीकरण वर्ष में निश्चित रूप से एक नई दिशा देने में सफल होंगी और इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, सभी सम्मानित विधायकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करें और सब लोगों के नेत्त्व में जिस प्रकार से इस सदन को एक नई दिशा देने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हम सब सफल होंगे। विजय बड़थ्वाल जी से पहली मुलाकात हमारी, संभवतः 1996 में एक साथ जिला पंचायत के सदस्य बने थे और उसके बाद मुझे लगता है कि लोक सभा चुनाव में वर्ष 1998 में पौड़ी जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम लोक सभा चुनाव से सम्बन्धित था उसमें हम सब लोगों की जो जिला पंचायत की बैठक थी, उसमें एक साथ मिले थे। उस समय आपसे पहली मुलाकात हुई और पिछले सात वर्षों में हम सब लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपके सहयोग से, आपके संघर्षशील जीवन से एक प्रेरणा लेते हुए हमने भी अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए क्षेत्र में भी विकास योजनाओं को एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गति प्रदान की है। सम्भवतया यही सब विचार करते हुए संगठन ने, सरकार ने और माननीय नेता सदन ने आप पर जो विश्वास व्यक्त किया है, हम सब लोगों को पूरा भरोसा है और विश्वास है कि आप इस सदन में गरिमामय अपनी उपस्थिति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। मान्यवर, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबको एवं माननीय उपाध्यक्ष जी को सदन की ओर से शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं ही नहीं पूरा सदन, पूरा प्रदेश श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को सदन के इस गौरवमय पद पर आसीन देखकर जहाँ खुशी महसूस कर रहा है, वहाँ आज यह सदन कुछ खेद भी महसूस कर रहा है कि इस सदन में विपक्ष के रूप में कांग्रेस और बसपा के शायद हमारे इन साथियों को सदन के इस गौरवमय पद पर एक महिला का पदासीन होना उनके गले नहीं उतरा। मैं तो यह महसूस करता हूँ कि आज सदन में उनका न आना प्रदेश की पूर्ण मातृ शक्ति का अपमान है। अच्छा होता कि सम्पूर्ण सदन आज श्रीमती विजय बड़थ्वाल को ही नहीं बल्कि जो मान–सम्मान प्रदेश की मातृ शक्ति को माननीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चाहे वह 50 प्रतिशत पंचायतों में और दूसरे पदों पर आरक्षण देकर किया हो और चाहे आज इस सदन में इस गरिमामय पद पर श्रीमती विजय बड़थ्वाल को हमारे ही बीच से इस पद पर पदासीन किया हो, इसके लिए यह पूरा सदन माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी है। इससे पहले आपने,माननीय नेता सदन ने और पूर्व वक्ताओं ने श्रीमती विजय बड़थ्वाल के जीवन की जितनी भी उपलब्धियां थी, उनका यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया, उन पर प्रकाश डाला, मैं भी उनसे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी से इस आशा के साथ कि उनके उपाध्यक्ष के इस गरिमामय पद पर रहते हुए इस सदन को उनका संरक्षण मिलेगा मैं अपनी तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज का दिन निश्चित रूप से न केवल हमारे इस विधान सभा सदन के लिए वरन उत्तराखण्ड राज्य की समस्त जनता के लिए एक गौरवशाली, ऐतिहासिक दिन है। यह केवल श्रीमती विजय बड़थ्वाल की व्यक्तिगत उपलब्धियों में जोड़ा जाने वाला क्षण नहीं है कि वो आज उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित हुईं, वरन् सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की उस मातृशक्ति के सम्मान के साथ इसको जोड़ा जाना चाहिए, ऐसी इच्छा और अपेक्षा, अपने बधाई संदेशों में सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है। निश्चित रूप से आज हमें माननीय नेता सदन का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखण्ड की दूसरी निर्वाचित विधान सभा है, जिसमें आपने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए, जब पहली बार एंग्लो इण्डियन विधायक

के रूप में किसी एंग्लो इण्डियन परिवार के सदस्य की निर्वाचन की प्रक्रिया होनी थी तो उस समय भी अगर चयन की बात आयी तो मातृशक्ति को सम्मान देते हुए, आपने एंग्लो इण्डियन बहन श्रीमती कैरन को मनोनीत घोषित किया था, जो निश्चित रूप से मातृशक्ति के सम्मान की एक पायदान थी। आज जो नाम निर्देशन पत्र 08 प्राप्त हुए और एक मात्र नाम श्रीमती विजय बड़थ्वाल के पक्ष में नामांकन हुआ। ये संदेश देने का प्रयास है इस सदन का कि उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना में मातृशक्ति का जो अभूतपूर्व और अमूल्य योगदान रहा, उस अभूतपूर्व और अमूल्य योगदान का सम्मान इस उत्तराखण्ड की विधान सभा ने सर्वसम्मति से श्रीमती विजय बड़थ्वाल का नामांकन करके प्रदर्शित किया है। आज निश्चित रूप से उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने के पश्चात् एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आयी है। मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में सम्पूर्ण संसदीय पराम्पराओं, मर्यादाओं के संरक्षण की बात समय–समय पर अनेकों मंचों से होती रही है। यह नवोदित राज्य, जिसकी यह दूसरी निर्वाचित सरकार यहाँ पर है और यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि विधान सभा सदन जिसकी रचना और जिसका इतिहास 800 वर्ष पुराना संसदीय परम्पराओं का रहा है, वह पुरातन संसदीय परम्पराओं को आगे बढ़ा सके और जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं आज महसूस की जा रही हैं, जिसमें सबसे पहली आवश्यकता है हम किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण कर सकें। दूसरी आवश्यकता है हम किस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कर सकें। तीसरी आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम विधान सभा सदन की उस परम्परा को, उस गरिमा को बचा सकें। श्रीमन्, मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अवसर मिला है इस गरिमामयी पीठ पर बैठने का और एक–एक क्षण में इस विधान सभा सदन का, कोई क्षण ऐसा नहीं, जिस क्षण का मैं साक्षी और दृष्टा न रहा हूँगा। यह आज एक बहुत बड़ी चुनौती हम सब लोगों के समक्ष है, क्योंकि न केवल पूरा राज्य वरन् इस पूरे देश की संसदीय प्रक्रिया और परम्परा एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जब हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। श्रीमन्, आज ये गुरूत्तर दायित्व उपाध्यक्ष की हैसियत से, इस सदन की सदस्या रही 2002 से, श्रीमती विजय बड़थ्वाल के कंधों पर आया है। श्रीमन्, मैं अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरह से आपने प्रयास प्रारम्भ किये और ऐसी सदाशयता का परिचय दिया, जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपने हर दम प्रयास किया कि किस तरह से सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चल सके। इस प्रयास के लिए निश्चित रूप से हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं और इसी प्रयास में आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए आज श्रीमती विजय बड़थ्वाल को इस सदन ने सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया है और श्रीमती विजय बड़थ्वाल, जिनसे मेरा परिचय मार्च, 2002 में हुआ। जब आप प्रथम बार विधान सभा में निर्वाचित होकर आयीं, हमारी दोनों बहनें श्रीमती आशा नौटियाल और श्रीमती विजय बड़थ्वाल। बहन आशा नौटियाल अभी कह रही थीं कि हम दोनों साथ–साथ रहती थीं। यह सही है, मैं याद

कर रहा था, एक भी क्षण ऐसा नहीं था, जब आशा नौटियाल जी और विजय बड़थ्वाल जी एक साथ न हों और जिस संजीदगी से इन्हें विधान सभा में प्रश्न उठाते हुए हमने देखा, कई बार तो मुझे यह लगता था कि कहीं इनके बीच कोई कम्पटीशन तो नहीं चल रहा। अगर एक ने पूरे सबल और सक्षम तरीके से किसी विषय को उठाया तो दूसरी बहन और अधिक प्रयास करती थी कि मैं और अच्छे तरीके से उस विषय को उठाऊँ। अर्थात् दोनों के मन के अन्दर इस उत्तराखण्ड राज्य के उन मूलभूत अन्तर्विरोधों के निराकरण की पीड़ा समान थी। आज यह अवसर मिला है कि आप इस सदन को, इस विधायिका को उस गरिमा तक पहुँचाएं, जिससे यह कार्यपालिका पर नियंत्रण करने में सक्षम हो सके, इसे मैं महसूस कर सकता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपका कार्य सफल हो। आप उन सभी सपनों को साकार करने में सफल हों, उन सभी अपेक्षाओं को साकार करने में सफल हों, उन्हें पूरा करने में सफल हों। श्रीमन्, एक पंक्ति के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा।

''कार्य कठिन है लेकिन करने योग्य है, क्योंकि सरल काम तो सभी किया करते हैं।''

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा लोकतंत्र का वह मन्दिर है, जिसकी पवित्रता बनाये रखना, जिसकी गरिमा बनाये रखना हम सबका धर्म है और इसके उत्थान और विकास के लिए हमें निरन्तर प्रयास करना पड़ेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबने यहाँ पर वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया, जिससे कि हम विधान सभा का एक–एक पल सुरक्षित रख सकें। आप सबने निर्णय लिया कि एक उत्कृष्ट विधायक का हम चयन कर सकें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे। हम उस स्तर तक पहुँच सकें, जिससे कि हम अपने लोकतंत्र की मर्यादा और गरिमा को बनाये रख सकें। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम इसी प्रकार के प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि और भी सुधार किये जा सकें। कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो सके। यहाँ पर माननीय सदस्यों, माननीय प्रेस के मित्रों और जो दीर्घा में हमारे दर्शक आते हैं, उन्हें हम बैठने के लिए उचित स्थान नहीं दे पाते हैं। मेरे पास अनेक विद्यालयों से समय–समय पर रिक्वेस्ट आती है कि हम अपने बच्चों को सदन की कार्यवाही दिखाना चाहते हैं। हम प्रयास करके उसमें भी सक्षम हो सकें। हम चाहते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में चाहे स्थायी अथवा अस्थायी, हमें एक ऐसा भवन उपलब्ध करा दिया जाय, जिसमें कि हम सब सुविधाएं जुटा सकें। इसके लिए हम निरन्तर प्रयासरत् रहेंगे। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष रूप से बहन श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी को कि आपको सर्वसम्मति से इस महत्वपूर्ण स्थान पर, जो कि पिछले 8 वर्षों से खाली पड़ा था, आपको यहाँ पर आसीन करना हमारा सौभाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया अपने विचार व्यक्त करें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इस गौरवमयी पद पर, इस राज्य के सर्वोच्च सदन के उपाध्यक्ष के पद पर आपने मुझे यह दायित्व सौंपा है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। उन सभी सहयोगी माननीय सदस्यों और प्रतिपक्ष के भी माननीय सदस्य, जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, माननीय सदस्यों और साथ ही अपने संगठन का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस गरिमामय पद पर मेरी नियुक्ति की।

माननीय अध्यक्ष जी, एक महिला को, बहुत ही कम अनुभव की महिला को इस सम्मानजनित पद का दायित्व दिलवाने के लिए, आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने मुझे यह दायित्व सौंपा कि मैं उत्तराखण्ड की समस्त महिलाओं का, जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, इस सदन में उनका प्रतिनिधित्व करूं। जिस तरह से मेरे सहयोगी सदस्यों माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय बहन आशा नौटियाल जी, माननीय निशंक जी और माननीय प्रकाश पन्त जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य इस राज्य को महिला सशक्तिकरण में अग्रणी करने का है, उनको सशक्त बनाना है, उसकी दिशा में एक अहम भूमिका, एक बहुत बड़ा प्रयास है और मैं कहूँगी कि यह प्रयास सफलता की ओर बढ़ रहा है। आपने इस राज्य के निर्माण में जो एक दिशा को चुना है, यह उसका ही प्रतिफल है कि मैं आज इस पद पर आसीन हुई हूँ। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। पूर्व सदन में और इस सदन में भी मैंने पूर्ण प्रयास किया कि मैं अपने राज्य की उन बहनों की और दूरस्थ स्थानों पर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं को इस सदन के माध्यम से हल करने की कोशिश करूँ, प्रयास करूँ और इसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि सदन की गरिमा बनी रहे और इस नव राज्य की, जिसकी कई समस्यायें ऐसी हैं, जो इस सदन के माध्यम से हल होने वाली हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसी समस्याओं पर यहाँ चर्चा हो और उनका निराकरण हो, जिससे हमारा राज्य अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो और यहाँ पर इस सदन की भी हमेशा गरिमा बनी रहे। हमारा राज्य एक उदाहरण के रूप में, जैसी कि माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी की भावना थी कि संसद में और अन्य राज्यों की विधान सभाओं में भी हमारे राज्य के सदस्यों के द्वारा, माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न यहाँ पर उठाये जायं और जो भी हमारी कार्यवाही हो, उसका एक उदाहरण पूरे देश में दिखाई दे, मान्यवर, यह हम सब लोगों का प्रयास होगा। आप सब लोगों के प्रयास से मैं लगातार ऐसा प्रयास करती रहूँगी। पुनः मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों के आशीर्वाद की भी कामना करती हूँ।

जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज एक सूचना 299 के अन्तर्गत पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सम्बन्ध में मुझे प्राप्त हुई है। मैं माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी से कहूँगा कि वे अपने विचार रखें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे सबसे बड़ा जो औचित्य का प्रश्न था, उसका तो समाधान आपने माननीय उपाध्यक्ष जी का चुनाव करके कर दिया, जो आठ वर्ष से खाली था, उस पर आपका विनिश्चय आ गया, उसके लिए आपका आभार। श्रीमन्, आपके मार्ग निर्देशन में आपकी अनुमति से श्रीमन्, इस सम्मानित सदन का कार्य संविधान एवं सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली द्वारा संचालित होता है। समय–समय पर अध्यक्ष पीठ द्वारा श्रीमन्, जो निदेश जारी होते हैं, वो भी मार्गदर्शन सिद्धान्त के रूप में काम करते हैं। इसी संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं सदन के नियमों के तहत सदन आपकी अनुमति से विधान का निर्माण करती है, परन्तु विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का पुलिस अधिनियम बनाने के लिए जो विधेयक पारित किया गया और तदुपरान्त जो पुलिस अधिनियम बनाया गया, उससे एक गम्भीर संवैधानिक विसंगति उत्पन्न हो गयी। पुलिस अधिनियम में अनेकों उपबन्धों की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिये गये निर्णय के क्रम में की गयी है। श्रीमन्, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों के आचरण एवं कृत्यों एवं ज्यादतियों के बारे में शिकायतों की सुनवाई के लिए राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर अलग–अलग पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। इन निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जिला शिकायत प्राधिकरणों का गठन किया गया। उत्तराखण्ड राज्य देश के उन अग्रणी राज्यों में भी शुमार हुआ, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सर्वप्रथम अमल करने का काम किया और पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन किया और साथ ही साथ जो तमाम रिफॉर्म्स थे पुलिस के अन्दर, जैसे पुलिस स्टैबलिशमेन्ट बोर्ड का गठन, उन तमाम सभी कार्यवाहियों को अमल में लाने का काम किया। परन्तु पुलिस अधिनियम में, पुलिस अधिनियम को बनाये जाने के लिए श्रीमन्, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया, उस विधेयक में जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का कोई प्राविधान नहीं किया गया। इससे जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, वहीं संविधान के अनुच्छेद–142 का उल्लंघन भी हुआ है। इसलिए श्रीमन्, निश्चित रूप से यह गम्भीर औचित्य का प्रश्न है। जिस पर निश्चित रूप से सदन में आपके विनिश्चय का मैं अनुरोध करूँगा। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं संविधान के सुसंगत व्यवस्थाओं का भी आपकी अनुमति से उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

श्रीमन्, हम सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय का प्रभाव ला ऑफ द लैण्ड के रूप में ही होता है। निश्चित रूप से उसे देश का, हमारे राज्य का कानून का दर्जा हासिल हो जाता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद–141 में कहा गया है कि 'ला डिक्लेयर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाईंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स'। जो भी निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा, देश के प्रत्येक न्यायालय का यह दायित्व है कि उसको कानून समझ करके उसका अनुसरण करें। उसी के क्रम में श्रीमन्, संविधान के आर्टिकल–142 में कहा गया है कि एम्फोर्समेन्ट ऑफ डिग्रीज एन आर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसमें कहा गया है कि श्रीमन्, द सुप्रीम कोर्ट इन डिग्जीसटेंस ऑफ इन ज्यूरीडिक्शन मे पास सच डिक्री ऑर मे मेक सच आर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डुइंग कम्पलीट जस्टीस इन ऐनी कॉज मेटर पैन्डिग बीफोर इट। श्रीमन्, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया की जो पीटीशन थी, याचिका थी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राज्यों से कौन–कौन सी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। मैं श्रीमन्, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशों का भी आपकी अनुज्ञा से उद्धरण देना चाहूँगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा श्रीमन्, पूरा जजमेन्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

रिफरेंस दे दीजिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, केवल इस व्यवस्था से सम्बन्धित जो उल्लेख है, जो अंश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसी को मैं कोड कर रहा हूँ। देयर सेल बी ए पुलिस कॉम्प्लेन्ट्स अथोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू लुक इनटू कम्प्लेन्ट्स अगेंस्ट पुलिस ऑफीसर्स ऑफ एण्ड अप टू द रेंक ऑफ ड्यूपिटी सुपरीटेन्डेन्ट ऑफ पुलिस। प्रत्येक जिले में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, जो पुलिस के उप अधीक्षक स्तर तक के सभी अधिकारियों के बारे में शिकायतों की सुनवाई करेगा। श्रीमन्, उसके आगे कहा गया है– सिमिलरली, देयर सुड बी एनॉदर पुलिस कम्प्लेन्ट्स अथोरिटी एट द स्टेट लेवल टू लुक इनटू कम्प्लेन्ट्स अगेंस्ट ऑफीसर्स ऑफ द रेंक ऑफ सुपरीटेन्डेन्ट ऑफ पुलिस एण्ड एबव। दूसरा, एक शिकायत प्राधिकरण होगा, जो पुलिस अधीक्षक के ऊपर के अधिकारियों के बारे में शिकायतों की सुनवाई करेगा। द डिस्ट्रिक्ट लेवल अथोरिटी में बी हैडेड बाय ए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ह्वाइल द स्टेट लेवल आथोरिट मे बी हैडेड बाय ए रिटायर्ड जज ऑफ द हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट। द हैड ऑफ द स्टेट लेवल कम्प्लेन्ट्स आथोरिटी सेल बी चूजन बाय द स्टेट गवर्नमेन्ट आउट ऑफ ए पेनल ऑफ नेम्स प्रपोज्ड बाय द चीफ जस्टिस द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्प्लेन्ट्स आथोरिटी में आलसो बी चूजन आउट ए पैनल ऑफ प्रपोज्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑर ए जज ऑफ द हाईकोर्ट नॉमीनेटेड बाय हिम।

श्री अध्यक्ष–

आप हिन्दी में अनुवाद कर दीजिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जजमेन्ट तो इंग्लिश में है, मैं हिन्दी में अनुवाद कर रहा हूँ, जजमेन्ट तो मुझे उसी रूप में कोड करना पड़ेगा श्रीमन्, इसलिए उसमें कहा गया जो राज्य स्तर का शिकायत प्राधिकरण होगा। उसका अध्यक्ष हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट का न्यायाधीश होगा, न्यायमूर्ति होंगे और जो जिला स्तर की कम्प्लेन्ट एथोरिटी होगी, उसमें कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या उनके समतुल्य कोई अधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे। श्रीमन्, ये तमाम सारी व्यवस्थायें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में कीं। इस पूरे जजमेन्ट को जब पढ़ते हैं तो यह जजमेन्ट कहीं पर भी इस बात की गुंजाईश नहीं छोड़ता, जिसके अन्दर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा हो कि यदि राज्य चाहे तो ऐसी व्यवस्था कर सकता है। यह तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था, यह बाइन्डिंग था, यह मेन्डेटरी था, ये संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 का–जिसका मैंने उद्धरण दिया, उसके मुताबिक जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इनहेयररेन्ट पावर है, जिसके अन्दर वह कहता है–इफ एट एनी टाइम इट अप द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन मे पास सच डिग्री ऑर मे सच आर्डर एट इज नेससरी ऑफ डूइंग कम्पलीट जस्टिस इन ऐनी कॉज ऑफ मेटर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यदि यह लगता है कि ऐसे किसी आदेश दिये जाने की आवश्यकता है, जो किसी भी विषय में, न्याय को दिलाने के लिए सम्पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी दशा में इसे कर सकता है। तो श्रीमन्, इसी दिशा में आज हमारे प्रदेश में जो पुलिस अधिनियम बना उसके अन्दर राज्य स्तरीय पुलिस कम्प्लेन्ट आथोरिटी, जिसे कम्प्लेन्ट आथोरिटी कहा गया, वह जरूर बने।

मेरे पास पुलिस अधिनियम है, पुलिस अधिनियम की सुसंगत सेंक्शन है उसको उद्धृत करना चाहता हूँ। पुलिस की जवाबदेही के बारे में यहाँ पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के छः महीने के अन्दर गम्भीर उपचार के लिए पुलिस कर्मियों के विरूद्ध जनता की शिकायतों की जाँच करने के लिए तथा ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन के लिए जो इस अध्याय में निर्धारित किये गये हैं, एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करेगी। जिसमें एक अध्यक्ष तथा अधिकतम चार अन्य सदस्य होंगे। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन होगा, राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन होगा। श्रीमन्, उस निर्देश का पालन नहीं हुआ, एक व्यवहारिक कठिनाई है। जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय ने जब जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन का निर्देश दिया था तो उसमें उत्तराखण्ड राज्य ने सम्भवतः इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि छोटा राज्य है, हर जिले में पुलिस शिकायत प्राधिकरण

के गठन की आवश्यकता न हो, इसलिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दो जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन किया गया। एक को कहा गया जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण गढ़वाल मण्डल, दूसरे को कहा गया जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण कुमाऊँ।

श्री अध्यक्ष–

मुन्ना सिंह चौहान जी, कृपया सीमित करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह शासन का आदेश है, जिसमें दो जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन किया गया था। लेकिन बिना किसी कारण के ही इन जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरणों को समाप्त कर दिया और आज एक ऐसी स्थिति है कि जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण इकजीस्टैन्स में नहीं है और निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद–142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है श्रीमन्, उसका पालन नहीं हुआ है। व्यवहारिक रूप से भी उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कदाचित यह सम्भव नहीं है कि पुलिस के कांस्टेबिल से लेकर के पुलिस के डायरेक्टर जनरल पुलिस तक का, पुलिस महानिदेशक तक की शिकायतें एक ही प्राधिकरण सुनेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप भिज्ञ हैं, निश्चित रूप से आपसे अधिक अनुभव इस सदन के अन्दर हम में से किसी भी सदस्य को नहीं है। यह कदाचित सम्भव नहीं कि पुलिस कांस्टेबल से लेकर डायरेक्टर जनरल पुलिस तक की शिकायतें एक प्राधिकरण सुने। तो लिहाजा यह अति गम्भीर औचित्य का प्रश्न है। मैंने प्रक्रिया और कार्य संचालन के सुसंगत नियमों, भारत के संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों का उल्लेख किया और श्रीमन्, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय और निर्देशों का भी उल्लेख सदन के सम्मुख किया और साथ ही साथ तत्समय उत्तराखण्ड के शासन द्वारा ही मैंने कहा, मैंने उत्तराखण्ड सरकार को इस बात के लिए बधाई भी दी कि सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखण्ड राज्य पहला राज्य था, जिसमें एफीडेविट देकर के कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में राज्य ने ये–ये कार्यवाही कर ली। आज श्रीमन्, सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन हो, इसको मॉनिटर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया। मॉनिटरिंग कमेटी इस बात का अनुश्रवण कर रही है कि किस–किस राज्य द्वारा किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पुलिस व्यवस्था को सुचारू बनाने का काम और जवाबदेही बनाने का काम भी किया गया है। तो श्रीमन्, इस अति महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न पर मैं आपसे विनिश्चय की माँग करता हूँ। धन्यवाद, श्रीमन्।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने नियम–299 के तहत औचित्य के प्रश्न पर पीठ से विनिश्चय की माँग की है और विषय, जिसको अपने नोटिस में उन्होंने निर्दिष्ट किया

है, जिस विषय को उन्होंने आधार बनाया है, वह विषय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका 310, 1996 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया तथा अन्य में प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के गठन के सम्बन्ध में है। चूँकि एक याचिका जो माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर हुई थी। जिसमें पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करने से सम्बन्धित, जिसके माध्यम से जिला स्तर पर पुलिस शिकायतें, पुलिस के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतें या अन्य प्रकार की शिकायतें हैं, उस प्राधिकरण के माध्यम से देखी जा सकें, ऐसी अपेक्षा उस याचिका में की गई थी। उत्तराखण्ड की वर्तमान सरकार द्वारा राज्य के उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 को अधिनियमित किया जा चुका है और इसके माध्यम से पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन भी किया गया। हम सब लोग जानते हैं कि यह एक छोटा सा राज्य है, इस छोटे से राज्य में इसका बृहद् क्षेत्र राज्य के राजस्व पुलिस में आता है। श्रीमन्, इसमें 13 अलग–अलग पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठन करने का औचित्य नहीं पया गया। चूँकि राज्य के पास अपने सीमित साधन हैं और साथ ही पुलिस के पास जो शिकायत आती हैं, उनकी संख्या भी सीमित है। श्रीमन्, इस सीमित संख्या को देखते हुए प्रत्येक जनपद में एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण हो, इस विषय का औचिल्य नहीं पाया गया। श्रीमन्, राज्य में जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किया है, उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य के लिए है, इसलिए राज्य में इतनी तत्कालिक व्यवस्था महसूस नहीं की गयी कि 13 जनपदों में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाय, इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गयी। जहाँ तक प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया वाद का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। उसके सम्बन्ध में, वर्तमान में एक समिति का गठन इस सम्पूर्ण व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए, इसके पुनरीक्षण के लिए किया गया है। समिति राज्यों के द्वारा बनायी पुलिस शिकायत प्राधिकरण की समीक्षा करके, माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देगी और ये प्रकरण अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।, श्रीमन्, इस विषय पर चर्चा किये जाने का औचित्य नहीं है और इस औचित्य के विषय में अपना विनिश्चय देने की कृपा करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल जानकारी दे रहा हूँ। श्रीमन्, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 13 जिलों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाने का औचित्य नहीं था। श्रीमन्, मैंने अपनी इस नोटिस में स्पष्ट किया है कि 13 जिलों के लिए केवल दो जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण शासन ने खुद बनाये, जिसमें एक मण्डल के लिए एक बनाया गया। लेकिन उसे बोला गया जिला स्तरीय पुलिस कम्प्लेन्ट अथॉरिटी। एक मण्डल में सभी जिलों में वहीं एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस कम्प्लेट अथॉरिटी, पाँच, छः सात जो जिले, उसमें वो कार्य करेगी। तो दो पुलिस कम्प्लेन्ट अथॉरिटी 13 जनपदों के लिए बनाई गई। अतः यह तर्कसंगत नहीं है कि प्रत्येक

जनपद में पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाने का कोई औचित्य नहीं है। श्रीमन्, यही सर्वोच्च न्यायालय का दिशा–निर्देश भी था। इसलिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री मुन्ना सिंह चौहान जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूँ।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2008 के इस तृतीय सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 12 बजकर 25 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून,
दिनांक : 20 दिसम्बर, 2008

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 विधान सभा / 103–1–7–2010–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।